



# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2025

रायपुर, दिनांक

/

/2025

## //कार्यालय-सूचना//

आदेशानुसार, शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2025 (शासकीय अवकाश) को "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के अवसर पर पूर्वाह्न 11.00 बजे समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने घरों में ही भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रदायित लिंक <https://drive.google.com/drive/folders/1beud9Yx3GyHuDLt5QRXJkOSnnY8eEh4?usp=sharing> के माध्यम से उपलब्ध कराये गये मतदाता शपथ का उक्त दिवस को अपने पारिवारिक सदस्यों एवं मित्रों के साथ पठन किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारियों संबंधी Whatsapp Group में भी कार्यालय-सूचना की प्रति के साथ मतदाता शपथ की प्रति भी उपलब्ध कराई जावेगी।

आदेश से,

हस्ताक्षर

संचालक,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 774 /वि.स./स्था./2025

रायपुर, दिनांक 22/01/2025

प्रतिलिपि:-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव, छ.ग. विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारियों, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
05. सर्वर कक्ष।

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा



## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Pledge For National Voters' Day, 25<sup>th</sup> January 2025

### मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ

“हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”।

### Voters' Pledge

“We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement”.